राज्य में स्थापित होंगे लगभग 1000 परिवहन सुविधा केंद्र

चर्चा में क्यों?

7 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिये राज्य भर में लगभग 1000 परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की प्रक्रिया को मंज़ूरी मिल गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिये राज्य भर में परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 26 जनवरी को घोषणा की थी।
- इस दौरान परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना और भूमिका को लेकर परिवहन विभाग की ओर से प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप को अनुमोदित कर आगे की कार्यवाही के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1000 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना से करीब पाँच हज़ार युवाओं के रोज़गार सृजन की संभावना भी बनेगी।
- 31 मार्च, 2021 को जारी भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 240(अ) के अनुसार लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिये परिवहन सुविधा केंद्र को अधिकृत किया जा सकता है। इस परिकल्पना को रोज़गारोन्मुखी स्वरूप देने के लिये छत्तीसगढ़ में परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
- परिवहन सुविधा केंद्रों में लर्निंग लाइसेंस के अलावा अन्य परिवहन संबंधी सेवा के लिये आवेदन किया जा सकेगा। इससे जहाँ आम जनता को आसानी से और घर से निकट परिवहन संबंधी सेवाएँ उपलब्ध होंगी, वहीं शिक्षित युवा बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिलेगा। मार्गदर्शिका में परिवहन सुविधा केंद्रों में विभिन्न सेवाओं के लिये शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
- अब तक सही जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अनधिकृत एजेंटों से संपर्क कर परिवहन संबंधी सेवा के लिये आवेदन करते रहे हैं, जिससे उन्हें समय अधिक लगने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता रहा है। अब परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिये अनधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/about-1000-transport-facilitation-centers-will-be-established-in-the-state